निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 माघ 1937 (श0)
(सं0 पटना 122) पटना, सोमवार, 8 फरवरी 2016

सं0 08/आरोप–01–108/2014,सा०प्र०—114
सामान्य प्रशासन विभाग

———

संकल्प
5 जनवरी 2016

श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–667/85 (सम्प्रति सेवानिवृत्त) तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्णियाँ के विरूद्ध रंगे हाथ रिश्वत लेने के आरोपों पर निगरानी द्वारा फारबिजगंज थाना कांड सं०–20 (8) 78 धारा–161/420/120 के अधीन फौजदारी मामला दर्ज कराया गया। इस क्रम में विभागीय आदेश सं०–18040, दिनांक 22.09.1978 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया। कालान्तर में विभागीय आदेश पत्रांक–3160, दिनांक 11.03.1981 द्वारा ये निलंबन मुक्त हुए। इस प्रकार श्री वर्मा दिनांक 22.09.1978 से दिनांक 11.03.1981 तक निलंबित रहे।

माननीय विशेष न्यायाधीश (निगरानी) उत्तर बिहार के न्यायालय में क्रिमनल केस सं०–22/90 के रूप में उक्त वाद की सुनवाई के उपरांत श्री वर्मा के विरूद्ध आरोप साबित हुआ तथा इन्हें एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री वर्मा ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक अपील (क्रिमिनल अपील (एस०जे०) सं०–188/2001) दायर किया जिसमें दिनांक 14.12.2012 को पारित आदेश द्वारा इन्हें दोष मुक्त करते हुए निगरानी न्यायालय के दंडादेश को खारिज कर दिया गया।

श्री वर्मा द्वारा उक्त न्यायादेश के आलोक में अपने 10% (दस प्रतिशत) लंबित पेंशन, दिनांक 22.09.1978 से दिनांक 11.03.1981 तक की निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन भुगतान (प्राप्त जीवन यापन भत्ता की राशि घटाकर) करने हेतु पुनः माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका (सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०–/14) दायर किया गया है।

विभागीय स्तर पर क्रिमिनल अपील (एस०जे०) सं०–188/2001 में दिनांक 14.12.2012 को पारित आदेश के अनुपालन में कार्रवाई करते हुए विधि विभाग से मंतव्य माँगा गया। विधि विभाग से प्राप्त मंतव्य निम्नवत् है :–

(i) ''विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर आरोप सिद्ध करते हुए दोषी ठहराया गया तथा दंडादेश पारित किया गया है। परन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य की तकनीकी त्रुटि के आधार पर दोष मुक्त कर दिया गया है। बलदेव सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (ए०आई०आर०–2006 एस०सी० पेज सं०–531) के सदृश मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि आपराधिक विचारण में अभियुक्त के दोष मुक्त हो जाने पर वह सभी बकाया राशि का हकदार नहीं होता जहाँ उस अवधि में कोई कार्य नहीं किया गया हो। उक्त के आधार पर निलंबन अवधि/जेल अवधि में केवल जीवन यापन भत्ता ही देय है।''

(ii) अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तिथि से पूर्ण पेंशन का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) चूँकि श्री वर्मा सेवानिवृत हो चुके है और रिश्वत जैसे गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर जेल गए तथा विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम द्रष्ट्या दोष भी पाया गया अतः उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जाना उचित नहीं होगा। यदि श्री वर्मा आपराधिक मामले में गिरफ्तार किये जाने के तिथि से पूर्व किसी प्रोन्नति के हकदार होते हों तो उस पर विभाग विचार कर सकता है।

विधि विभाग के उक्त परामर्श के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर निम्न कार्रवाई की गयी :–

(i) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावाली–2005 के नियम–11(5) के प्रावधानानुसार निलंबन अवधि के वेतन भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक–14007, दिनांक 16.09.2015 द्वारा श्री वर्मा से कारण पृच्छा की गयी तथा निलंबन अवधि में पूर्ण वेतन भुगतान संबंधी उनके दावे के समर्थन में तथ्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। श्री वर्मा को निबंधित डाक द्वारा उनके दो अलग–अलग पते पर उक्त कारण पृच्छा का पत्र भेजा गया परन्तु स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। इसमें से एक पत्र तो Refused अभ्युक्ति के साथ वापस लौट आया। इस प्रकार समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने से यह उजागर हुआ कि श्री वर्मा को अपने दावे के समर्थन में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में निलंबन अवधि में केवल जीवन यापन भत्ता ही देय होता है।

(ii) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील (एस०जे०) सं०–188/2001 में पारित आदेश (दिनांक 14.12.2012) की तिथि से श्री वर्मा को पूर्ण पेंशन एवं उपदान एवं उसके पूर्व की अवधि के लिए मात्र 90% (नब्बे प्रतिशत) पेंशन एवं उपदान के भुगतान के निर्णय के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक–15778 दिनांक 02.11.2015 से संसूचित किया जा चुका है।

इस प्रकार श्री वर्मा के दावे पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए निलंबन अवधि का विनियमन निम्नरूपेण किया जाता है :–

(I) निलंबन अवधि (दिनांक 22.09.1978 से 11.03.1981 तक) एवं हिरासत अवधि के लिए मात्र जीवन यापन भत्ता ही देय होगा। अन्य प्रयोजनों के लिए यह अवधि सेवावधि के रूप में मानी जायेगी।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 122-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in